

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ़

सुनील कुमार

बनाम

पप्पूराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 268/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की लागू जारी हुआ
21.11.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही गौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 76/66 की कुल 9.0040 हैक्टेयर वादभूमि की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 21.12.2023 को पेश हो।  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ़)	
21.12.24	पत्रावली दि. 21.12.2023 को पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि हम पत्रावली का आपस में समझौता हो चुका है, इसलिए प्रार्थना पत्र नरो चलाया चाहते हैं क्योंकि हमारे प्रार्थी ने फर्द अहकाम पर अंगूठा/हस्ताक्षर किया। प्रार्थी कि परन्तु भी नोट किंगो जेम्सी ए. द्वारा कि गई। प्रार्थी स्वयं के द्वारा अपना शपथ पत्र नरो चलावे के कारण उक्त स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दायित्व दस्तर हो।  अधिवक्ता (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	प्रार्थी द्वारा पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि हम पत्रावली का आपस में समझौता हो चुका है, इसलिए प्रार्थना पत्र नरो चलाया चाहते हैं क्योंकि हमारे प्रार्थी ने फर्द अहकाम पर अंगूठा/हस्ताक्षर किया। प्रार्थी कि परन्तु भी नोट किंगो जेम्सी ए. द्वारा कि गई। प्रार्थी स्वयं के द्वारा अपना शपथ पत्र नरो चलावे के कारण उक्त स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दायित्व दस्तर हो।  प्रार्थी द्वारा पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि हम पत्रावली का आपस में समझौता हो चुका है, इसलिए प्रार्थना पत्र नरो चलाया चाहते हैं क्योंकि हमारे प्रार्थी ने फर्द अहकाम पर अंगूठा/हस्ताक्षर किया। प्रार्थी कि परन्तु भी नोट किंगो जेम्सी ए. द्वारा कि गई।